

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
 (लम्बाई 6.00 किमी)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग चिह्न तिवाड़ी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटशाल बांडी ग्रामों से होकर गुजरता है जिनकी आबादी 1290 है। यह मार्ग अल्पोडा-घाट मोटर मार्ग के किमी १० है ० ४-६ से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती है। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन-पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएंगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन स्थिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अच्युत किरी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में **1.99875** है० सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि **0.270** है०, आरक्षित भूमि **0.170** है० भूमि (कुल 2.43875 है० भूमि) तथा नाप भूमि **2.96125** है० प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन 1:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-धाट मोटर मार्ग के किमी 10 है 4-6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्राप्तिक्षण 125मी 0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-धाट मोटर मार्ग के किमी 10 13 हैमी 0 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लबाई 7.700 किमी 0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी 0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोगोंविधि, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076 / 769सी 0 दिया 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं 15मी 0 स्पान, 01नं 6मी 0 स्पान, 01नं 8मी 0 स्पान तथा 01नं 12मी 0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिण बैंड हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

समरेखन 2:— इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 10 है 4-6 से (चितैई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितैई पन्त, चितैई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 10 13 हैमी० 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस परे समरेखन में 03न० 15मी० स्पान, 01न० 6मी० स्पान, तथा 01न० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभिन्नता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43875 हैं भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी 0 तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पार्क गड्ढ प्रकाश गठित कर स्थीकृत होते ऐसित किया जा सकता है।

अब: प्रस्तावित सिद्धि भसि (यज्ञ भसि) का इस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की क्रपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि.ख.लो.नि.वि
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
निर्णय नि.ख.लौ.नि.वि वि.०,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण नि.ख.लो.नि.वि.
अल्मोङ्ग

Alignment

laine of work- अल्मोड़ा-धाट मोर गार्ग पिंडी पन्त तिराहे से (हरी दत पेटशाली इंटर कालेज से आगे) दृश्याल तक धैकध्यिक मार्ग। श्वीकृत लम्बाई 8.00 किमी०, वास्तविक लागाई 7.700 किमी०

Sl. No.	Particular	Alignment No-1 (mark with Red ink)	Alignment No-2 (mark with green ink)
1	Topography	The road start from Almora-Ghat motor road Hm 4-6 to Haridatt Petshali road and goes Dhargarh, Chitaijant, Chitaitiwari, Pataldevi to Petshali	Same as alignment No. 1
2	Length of Road	7.700 Km.	8.500 Km.
3	Bridging requirement No. and Length	4 No. 15M. span, 1 No. 6M. span, 1 No. 8M. span & 1 No. 12M. span	3 No. 15M. span, 1 No. 60M. span, 1 No. 12M. span
4	Geometric (a) Gradients	1:17, 1:20 & 1:24	1:15, 1:18 & 1:20
	(b) Curves, H.P. Bends	6 No. H.P. bends	10 Nos. H.P. bends
5	Exiting means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	All villages connected by bridle road and village path.	Same as alignment No. 1
6	Right of way, bringing cut. Construction on account of built up areas, monuments and other structures	No such construction involved	Same as alignment No. 1
	(a) Terrain & soil condition (i) Nature of soil (ii) Geology of the area (b) Road length passing through (i) Mountainous terrain (ii) Steep terrain (iii) Rocky stretches with indication of length in loose rocky stretches (iv) Area subject to landslides and snow drift (v) Slip Zone Area	E.&B., O.R., H.R. Hilly Terrain 1.50 Km. Nil 6 Km. without rocky stretches - - - - - -	E.&B., O.R., H.R. Hilly Terrain 2.50 Km. 1.50 Km. 5.850 Km. without rocky stretches 0.150 Km.

	(vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends (ix) Variations extants and types	Area has good drainage through country slopes and no susceptibility to flooding Maximum height is 1450M. Maximum height is 1250M.	Same as alignment No.1 Maximum height is 1450M. Maximum height is 1250M.		(c) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, stone, shingle etc. extent of their availability and lead involved	Stone for constt. R/W will be available within average lead of 1½ Km. sand is available from Haldwani gola river quarry.	Same as alignment No.1
8	Climate condition: (a) Temperature monthly max. & min. reading. (b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (d) Wind direction and velocities (e) Fog condition (f) Exposure to sun Unusual weather conditions like cloud brust etc.	5.775Km Nap land, 0.575Km. Nazul land, 0.700Km. forest panchayat 0.650Km. Reserve forest Mostly hot in summer and very cold in winter Negligible Rain fall Negligible snow fall Record not available Fog remain during rains Almost in all the year Nil	3.875Km Nap land, 1.775Km. Nazul land, 1.075Km. forest panchayat, 1.775Km. Reserve forest Mostly hot in summer and very cold in winter Negligible Rain fall Negligible snow fall Record not available Fog remain during rains Almost in all the year Nil	10 Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc. 11 Approximate Constt.Cost 12 Access point indicating possibility of induction of equipment 13 Period required for construction 14 Strategic Consideration 15 Important villages, towns and markets centres to be connected 16 Recreational potential 17 Economic Factors: (a) Population served by the alignment (b) Agricultures and economic potential of the area 18 Other major development projects being taken up electric projects etc.	Agricultural land-5.775Km Irrigated land- Nil Built up land- Nil F. land & F.P., R.F.-1.925Km. Total cost Rs 296.36 lacs Can reach upto moteable terminal near Almora at present Approx.2years after transfer of land. To provide better communication All villages will be connected by motor road and Tehsil & Distt. head quarter. Nothing at present Appx.400 Limited at present. However it is expected to increase after construction of road. Nil	Agricultural land-3.875Km. Irrigated land- Nil Built up land- Nil F. land & F.P., R.F.-4.625Km. Total cost Rs.414.88 lacs Same as alignment No.1 Same as alignment No.1	
	Facilities resources (a) Landing ground (b) Dropping Zone (c) Food stuffs Labour local availability and need for port	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Local & Nepali labour also available	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Same as alignment No.1	(i) Misc. such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty (iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work.	Nil Nil Nil Nil	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work.

	(v) Working period available for construction of work	Almost whole the year except rainy season.	Almost whole the year except rainy season.
20	Merits	1-Hill side slope easy and no steep zone fall in this alignment. 2-Less cost involved in this alignment. 3-Easy grades involved. 4-Minimum agricultural length effected from this alignment.	Nil
21	Demerits	Nil	1-More cost involved in this alignment. 2-Stip grades involved. 3-More forest land effected. 4-More length of the alignment which is costly. 5-More agricultural length effected from this alignment. 6-In this alignment 10H.P. bends involved & 60M. span steel girder bridge will be made. 7- 0.150 Km. sliding zone.

ECOMMENDATIONS:
Document no.(1) shown with red ink is hereby recommended for approval being more useful & financially feasible.

Engineer
P.W.D.
Almora

d
Assistant Engineer
C.D., P.W.D.,
Almora

Executive Engineer
C.D., P.W.D.,
Almora

प्राप्ति-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01/12/14 at time 11:00 AM at Almora in which application claiming rights in Chatai Pant area measuring 2.43875 hectare, for the construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the subdivision level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

01.12.14
Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

लोक समाज कल्याण अधिकारी
अरनोदा

प्रारूप 30

JK

16

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 29/09/2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.438 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college Link Motor Road (8.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land)** in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.438 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure I to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बल्मोड़ा

Signature
29/09/14
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
बल्मोड़ा.

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.438 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

Signature
29/09/14
अधिकारी
जिला अधिकारी
बल्मोड़ा.

Signature
29/09/14
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
बल्मोड़ा.

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated.. 1-12-14.....

1.6

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes. It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.)** in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal Village (s) in Almora tahsils

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal** villages (s) is enclosed as annexure
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Vinod Kumar Suman
 District Collector, Almora

01/12/14
 विला समाज कर्त्यार्थ अधिकारी
 अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.2 / प्रारूप 30.2

1.6

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
 (लम्बाई 6.00 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) (0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे0 अर्थात कुल 2.43875 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दिन 24/09/07 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 01/12/14 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री जगदीश कुमार उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष

2- श्री भगवत सिंह जीना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3- सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा सदस्य/सचिव

4- श्री चन्द्र शर्मा रामलैला बी. ००३०० सेक्रेटरी प्रारूप 30.2 सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

१६

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त उपखण्ड इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.43875 हेतु वन भूमि निर्माण लोनिंगिं, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

०७

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—....., जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

०८

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—....., जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र-23 | प्रारूप-३०३

१६

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त उपखण्ड इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम—

तहसील— जिला—अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त उपखण्ड इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हेतु 1.99875 हेतु सिविल सोराम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हेतु अर्थात कुल 2.43875 हेतु वन भूमि का योग निर्माण दिभाग/संरक्षा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिठ्ठी द्वारा दिन २२/७/०८ को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्तुत चर्चा की गई। यह कि वसु अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। लग्नियत सभी ग्रामवासियों द्वारा रूपान्तर किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोनिंगिं, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं जर्मी है।

ग्राम पंचायत चिठ्ठी संबंधी
क्षेत्र प्रभाग नियन्त्रित
ग्राम संकाय कालतालवारी (तहसील)

प्रधान
ग्राम पंचायत चिठ्ठी
विकास ड हाउस
लोनी - अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1/प्रारंभ-30/४

1.6

दिनांक 22/09/2015 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१.	कुलमुख राम	कुलमुख राम
२	गावन्द राम	गावन्द राम
३	पन्द राम	पन्द राम
४	मोहन कुमार	मोहन कुमार
५.	विवर सिंह	विवर सिंह
६.	हिरा सिंह	हिरा सिंह
७.	गिरीश लाल	गिरीश लाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-किलो-प्रियंका
विवर-हरिहरलाल (मण्डीपुर)

ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत विवर विवरी
विवर-विवर
विवर-विवर

प्रपत्र-23.1/प्रारंभ-30/४

1.6

दिनांक 22/02/2015 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	विवर सिंह	विवर सिंह
२	जायरु सिंह	जायरु सिंह
३	ठेवेल सिंह	ठेवेल सिंह
४	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
५	प्रेमरसिंह	प्रेमरसिंह
६	हर सिंह	हर सिंह
७	लवीर चंद्र	लवीर चंद्र
८	प्रेशर सिंह	प्रेशर सिंह
९.	बिलकुल सिंह	बिलकुल सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-विवर
विवर-विवर

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विवर
विवर-विवर
विवर-विवर

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चिराई पन्त तिराहे से हरी दत्ता
पेटशाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक गार्ड का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम—

तहसील— जिला—अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मात्रामापनीकृत विकल्प आवश्यकारी
संघर्ष- विद्युत् विकारी
विद्युत् विकारी का उपयोग किसी विशेष लक्षण के लिए किया जाता है।

D
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत नई हिवारी
विकास एवं व्यापार बाग
जिला - इलाहाबाद

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त
पेटशाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 किमी)

दन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम—

तहसील— जिला—अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चिरई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 है। आरक्षित वन भूमि, 1.99875 है। सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 है। अर्थात् कुल 2.43375 है। वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिरई पन्त द्वारा दि. २१/०५/२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा रपष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिरईतिवारी, चिरई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०१०विं, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रगाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव को भूमिका का लिखा गया है।

ग्राम प्रधान
प्रधान v. Post
साथ प्रबोधन करते हैं
डिपो-प्रबोधन (प्रभाव)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 22/03/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देवी राम	Devi Ram
2.	मोहन राम	Mohan Ram
3.	जगदीश पासाद	Jagdish Pasad
4.	लक्ष्मी कुमारी	Lakshmi Kumari
5.	मोहन राम	Mohan Ram
6.	प्रदीप कुमार	Pradeep Kumar
7.	बलकन्त कुमार	Balkant Kumar
8.	रामलाल	Ram Lal

ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र- वित्तीय
विभाग अल्मोड़ा (खट्टरोड़ा)

ग्राम प्रधान
प्रधान V. Pant
ग्राम पंचायत वित्तीय पंत
विभाग अल्मोड़ा (खट्टरोड़ा)

16

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में वित्तीय पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में वित्तीय पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.43375 हेतु वन भूमि निर्खो, लोनिविं, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

17/3/14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

16

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चिरई पन्त तिराहे से हरि
दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिंक मार्ग का निर्माण।

(लम्बाई ८ किमी)


जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चिरई पन्त तिराहे से हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु **2.438 हे०** वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०निंवि०, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सङ्क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि सम्प्रदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

गिला समाज की हवाण अधिकारी
६ शहरबाज़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

अल्मोड़ा-झाट मोटर मार्ग के चिंतई तिराहे से
(हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे)
पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)



Matela
and

Plantation Zone

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

1: कार्य का नाम:-

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चिराहे पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंस्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।

2: कार्य की स्थीरता लम्बाई:-

6.00 किमी०

3: कार्य की लागत:-

₹ 200.16 लाख

4: आगणन गठित करने का संदर्भ:-

शा०सं०- 572 / ।।।(2) / 2006-08 प्रा०आ०/06 दि० 28.03.2006 के अनुपालन में।

5: लोक सभा क्षेत्र का नाम:-

अल्मोड़ा-पिथोरागढ़

6: विधान सभा क्षेत्र का नाम:-

52-अल्मोड़ा

7: लाभान्वित व्याक के नाम:-

हवालबाग

8: लाभान्वित ग्रामों का नाम/कोड सं.-

को०सं०	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	चिराहे तिवाड़ी	287
2	चिराहे पन्त	348
3	मयोली	59
4	पूनाकोट	561
5	पेटशाल बाड़ी	35
	योग	1290

9: आगणन के मुख्य प्राविधान:-

मोटर मार्ग का नव निर्माण।

10: कार्य विस्तृत आश्या:- उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थीरता शा०दे०-5103(1)/ ।।।(2)/11-14(भा०मु०धो०)/11 दि० 26.09.2011 द्वारा किमी० 10.00 लम्बाई हेतु ₹ 126.00 लाख की प्राप्त हुई है, मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर दोनों समरेखों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है-

समरेखन 1:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है ० ४-६ से (चिराहे पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चिराहे पन्त, चिराहे तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मयोली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 है ० ४-६ नीले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी० आती है, परन्तु इस 2.00 किमी० का समरेखन अधिकांश अधिकांश, प्रथम वृत्त, लो०५००५००, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076 / 769सी० दि० 05.05.2003 द्वारा स्थीरृक्त है एवं तब भूमि भी स्थीरृक्त है। इस पूरे समरेखन में 04न० 15मी० स्पान, 01न० 06मी० स्पान, 01न० 08मी० स्पान तथा 01न० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़े तथा तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड हैं, तकीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

समरेखन 2:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है ० ४-६ से (चिराहे पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चिराहे पन्त, चिराहे तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मयोली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 है ० ४-६ नीले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03न० 15मी० स्पान, 01न० 06मी० स्पान, 01न० 08मी० स्पान, तथा 01न० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़े तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड हैं, तकीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त क्षेत्र में बड़े पेमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विवरण का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अधिकतम अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अप्रणीत है। सड़क बनाने से इस क्षेत्र में पर्यटक अल्मोड़ा की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त यात्रों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्थीरृक्त किया गया है।

समस्त कार्य लोक निर्माण कियाग की विशिष्टियों के अनुसार समावित कराये जायेंगे।

उपरोक्त गुण-दोष के आधार पर लाल रंग से दर्शाया गया समरेखन सं०-१ तकनीकी एवं उपर्युक्ता की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त होने के कारण अनुमोदन हेतु संस्तुति कर स्थीरृक्त हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

[Signature]
संहारक अधिकारी
निर्माण खाड़ी लाभान्वित अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

[Signature]
अधिकारी अधिकारी
निर्माण खाड़ी लाभान्वित अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

२०।

प्रपत्र-42

परियोजना विवरण :-जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चिराहे पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंस्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क्षेत्रफल (हेक्टेक)	क्षेत्रफल (हेक्टेक)	कार्य का नाम	इकाई (हेक्टेक/सं०)	इकाई दर (%)	योग
4.8775	4.8775	सर्वे एवं सीमांकन	1100	97.00	473.12
4.8775	4.8775	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.8775	950.00	4633.63
4.8775	4.8775	अग्रिम दीवाल बन्डी (फॉस्टिंग)	10150.00	49506.63	
4.8775	4.8775	मूदा एवं जल संक्षण एवं सग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	5500.00	26826.25	
5365	5365	गड़डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	7.33		39327.28
4.8775	4.8775	निरीक्षण बटिया बनाना	485.00		2365.59
5365	5365	पौधों का मूल्य	5.89		31601.32
4.8775	4.8775	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार सेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	400.00		1951.00
4.8775	4.8775	अन्य कार्य	250.00		1219.38
157904.19		योग :- (प्रथम चरण)			
157904.19		द्वितीय चरण			
5365	5365	गड़डा भरान (0.30X0.30X0.45)	1.15		6170.04
5365	5365	पौधों का मूल्य	1.15		6170.04
5365	5365	पौधा ढुलान गार्ड	6.39		34283.95
5365	5365	पौधा रोपण व थावलाबन्दी	2.06		11052.42
5365	5365	निराई, गुडाई व महिंग (दो बार)	0.76		4077.59
4.8775	4.8775	खाद व दाना पर व्यय	420.00		2048.55
8 Month	5150.00	वृक्षारोपण गार्ड में अनुकृष्ण पर व्यय			41200.00
8 Month	5150.00	वृक्षारोपण गार्ड के अन्तर्गत			
4.8775	350.00	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हेक्टेक	1707.13		
4.8775	190.00	8.2 रुक्षा दीवाल / धेरवाड़ के बाहर 4मी० की पटटी साफ करना	926.73		
4.8775	560.00	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों / निवासियों को प्रोत्साहन देना	2731.40		
4.8775	450.00	9 अन्य व्यय साइन बोर्ड, पोस्ट लुलन हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कार्य क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पौसीलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो टीन बार फोटोग्राफी फोल्ड स्टीरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्मूटेशन आदि कार्य	2194.88		

२१।

२.१

10	अन्य कार्य	4.8775	150.00	731.63
	कुल योग प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	113294.33		
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	2.1 वृक्षरोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति है।	4.8775	260.00	1268.15
	2.2 शुरक्षा दीयाल के बाहर 4मीटर पट्टी साफ करना	4.8775	215.00	1048.66
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण लथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्राप्तानन देना।	4.8775	450.00	2194.88
3	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (प्रथम वर्ष रख-रखाव)	46687.19		
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (तृतीय वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (पांचवे वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (छठे वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (सातवें वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
वृक्षारोपण का आठवे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (आठवे वर्ष रख-रखाव)	42175.50		

वृक्षारोपण का नवे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (नवे वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :— (दसवें वर्ष रख-रखाव)	42175.50		
	कुल योग :-		697465.20	
	या :-		697400.00	

काल
प्रधान प्रबन्धकारी
वर्षारोपण समिति, लोनिया

प्रधान
प्रबन्धकारी
वर्षारोपण समिति

०८/०८/२०२३
वर्षारोपण समिति, लोनिया

प्रभागीकृत वर्षारोपण समिति
वर्षारोपण समिति, लोनिया

प्रपत्र-19

३.१५

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।

(लम्बाई 6.00 किमी)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 8.12.2009 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वन व्याक / कम्पाटैन्ट / खसरा सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग							योग
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	आरक्षित वन भूमि	सिराड	बीड़— Pinus roxburghii sarg	7	7	2	4	10	2	—	32
			कुल योग (आरक्षित वन भूमि)	7	7	2	4	10	2	—	32
2	सिविल सोयम भूमि	चितई तिवाडी	मेहल	2	—	—	—	—	—	—	2
3		चितई पन्त	बीड़— Pinus roxburghii sarg	47	19	2	—	—	—	—	68
4		मन्योली	बीड़— Pinus roxburghii sarg	71	12	15	5	5	—	—	108
		काफल		3	1	—	—	—	—	—	4
		मेहल		1	—	—	—	—	—	—	1
		सुरई		1	—	—	—	—	—	—	1
5		पूनाकोट	बीड़— Pinus roxburghii sarg	50	47	27	14	2	—	—	140
		काफल		5	1	—	—	—	—	—	6
		बाडी	बीड़— Pinus roxburghii sarg	28	9	5	2	—	—	—	44
		कुल योग (सिविल सोयम भूमि)		208	89	49	21	7	—	—	374
7	वन पंचायत भूमि	पेटशाल	बीड़— Pinus roxburghii sarg	16	7	3	1	—	—	—	27
		कुल योग (वन पंचायत भूमि)		16	7	3	1	—	—	—	27
8	नाप भूमि	चितई तिवाडी	मेहल	1	—	—	—	—	—	—	1
			बीमल	1	—	—	—	—	—	—	1
		चितई पन्त	बीड़— Pinus roxburghii sarg	3	—	—	—	—	—	—	3
9			मेहल	16	14	3	—	—	—	—	33

		मन्योली	बीड़— Pinus roxburghii sarg	104	100	10	7	2	2	—	225
		मेहल		18	17	—	—	—	—	—	35
		काफल		5	—	—	—	—	—	—	5
		पदम		1	—	—	—	—	—	—	1
		खड़िक		—	1	—	—	—	—	—	1
		बकैन		1	—	—	—	—	—	—	1
		बेहू		2	—	—	—	—	—	—	2
		भीमल		—	1	—	—	—	—	—	1
		पूनाकोट	बीड़— Pinus roxburghii sarg	27	8	8	1	—	—	—	44
		काफल		—	1	—	—	—	—	—	1
		बकैन		—	—	1	—	—	—	—	1
		खड़िक		—	—	1	—	—	—	—	1
		मेहल		3	—	—	—	—	—	—	3
		कुल योग (वन पंचायत भूमि)		183	143	22	9	2	2	—	361
		महायोग (आरक्षित-सिंसो०भू०+व०प०भू०+ना०भू०)		414	246	76	35	19	4	—	794

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अधिकारी

प्रतिहस्ताथरित
प्रभागीय अधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
भर्त्ता वन प्राधार अधिकारी
गुप्तीय

राजस्व विभाग

प्रिव्याधिकारी
वस्त्राधिकारी

प्रतिहस्ताथरित
प्रभागीय वनाधिकारी
भर्त्ता वन प्राधार अधिकारी
गुप्तीय

४१
वनाधिकारी वन विभाग
वनाधिकारी वन विभाग
वनाधिकारी वन विभाग

२१
वनाधिकारी वन विभाग
वनाधिकारी वन विभाग
वनाधिकारी वन विभाग

प्रारूप-20

२०१८

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितर्इ पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि
(आरक्षित वन भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़— Pinus roxburghii sarg	10-20	7	70	490
		20-30	7	310	2170
		30-40	2	1085	2170
		40-50	4	2475	9900
		50-60	10	3395	33950
		60-70	2	5560	11120
		कुल योग	32		59800

(सिविल सोयम भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	मेहल	10-20	3	20	60
1	चीड़— Pinus roxburghii sarg	10-20	196	70	13720
		20-30	87	310	26970
		30-40	49	1085	53165
		40-50	21	2475	51975
		50-60	7	3395	23765
2	काफल	10-20	8	65	520
		20-30	2	300	600
3	सुरई	10-20	1	65	65
		कुल योग	374		170840

(वन पंचायत भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़— Pinus roxburghii sarg	10-20	16	70	1120
		20-30	7	310	2170
		30-40	3	1085	3255
		40-50	1	2475	2475
		कुल योग	27		9020

(नाप भूमि)

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़— Pinus roxburghii sarg	10-20	148	120	17760
		20-30	122	240	29280
		30-40	21	900	18900
		40-50	8	1945	15560
		50-60	2	3445	6890
		60-70	2	5560	11120
2	मेहल	10-20	23	50	1150
		20-30	17	210	3570
3	बेडू	10-20	2	20	40
4	वकैन	10-20	1	50	50
5	भीमल	10-20	3	50	150
		20-30	1	70	70
6	तिमिल	10-20	2	65	130
7	पदम	10-20	1	50	50
8	काफल	10-20	6	65	390
9	खड़ीक	20-30	1	210	210
		30-40	1	390	390
महा योग (सिविल सोयम+नाप भूमि)				361	105710
				794	345370.00
					345370.00

राजि अधिकारी

राजि अधिकारी
अप्र० ३०/३०

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

बालमोड़ा वन प्रशासन, बालमोड़ा

*वन विभाग
बालमोड़ा वन प्रशासन*

*वन विभाग
बालमोड़ा वन प्रशासन*

प्रपत्र-20.1

२०१५

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	व्यास वर्ग							योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	आरक्षित वन भूमि	7	7	2	4	10	2	—	32
2	सिविल बेनाप	208	89	49	21	7	—	—	374
3	वन पंचायत	16	7	3	1	—	—	—	27
	योग	231	103	54	26	17	2	—	433
4	नाप भूमि	183	143	22	9	2	2	—	361
	कुल योग	414	246	76	35	19	4	—	794

राजि अधिकारी

अपार्टमेंट
बालोड़ा

प्रतिहस्तान्त्रित
प्रभारीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रशासन, अल्मोड़ा

प्रतिहस्तान्त्रित
प्रभारीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रशासन, अल्मोड़ा

२०१५

प्रारूप-21

२०१५

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्रमांक	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
	आरक्षित वन भूमि	32	32	—
	सिविल सोयम बेनाप	374	374	—
	वन पंचायत	27	27	—
	संरक्षित वन	—	—	—
	योग :— वन भूमि	433	433	—
	नाप भूमि	361	361	—
	कुल योग :—	794	794	—

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 794 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 794 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रतिहस्तान्त्रित
प्रभारीय वनाधिकारी
विमणि खण्ड, ल०० निं० वि०

बल्मोड़ा

अपार्टमेंट
बालोड़ा

प्रतिहस्तान्त्रित

प्रभारीय वनाधिकारी
प्रभारीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रशासन

प्रतिहस्तान्त्रित
प्रभारीय वनाधिकारी
प्रभारीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रशासन

प्रतिहस्तान्त्रित
प्रभारीय वनाधिकारी
विमणि खण्ड, ल०० निं० वि०

बल्मोड़ा

प्रतिहस्तान्त्रित
प्रभारीय वनाधिकारी
प्रभारीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रशासन

प्रारूप—21

१३०

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-धाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
	आरक्षित वन भूमि	32	32	—
	सिविल सोयम बेनाप	374	374	—
	वन पंचायत	27	27	—
	संरक्षित वन	—	—	—
	योग :— वन भूमि	433	433	—
	नाप भूमि	361	361	—
	कुल योग :—	794	794	—

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 794 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 794 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


प्रथमिका एजेन्टी
प्रभावण खण्ड, ल००नि०वि०
अल्मोड़ा

सहायक अधिकारी,
प्रभावण खण्ड, ल०० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभावीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रदाय, अल्मोड़ा

प्रभावीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रदाय अल्मोड़ा

अल्मोड़ा-धाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी)



Proposed Road Alignment
Alternate Road Alignment